20/04/2020 LL.B. IV Sem

Arbitration, Conciliation and Alternative Disputes Resolution

LL.B. IV Sem

MANEESHA SHARMA
Law Faculty
N.A.S. P.G. College
Meerut

Scanned with CamScanner

प्रश्न-6 जेनेवा पंचात अभिसमय के अन्तर्गत विदेशी पंचात को परिभाषित कीजिए विदेशी पंचात के बाध्यकारी होने एवं साक्ष्य सम्बन्धी उपबन्धों को समझाइए।

उत्तर- विदेशी पंचात -धारा 53 के अनुसार अध्याय 2 में 'विदेशी पंचात' का तात्पर्य 28 जुलाई 1924 के पश्चात बनाये गये भारतवर्ष में लागू विधि के अधीन वाणिज्यिक समझे गये मामलों से सम्बन्धित मतभेदों पर एक माध्यस्थम् पंचात आशयित है -

(क) माध्यस्थ के लिए एक करार के अनुसरण में जिसके प्रति दूसरी अनुसूची में दिये गये बातचीत (प्रोटोकाल) लागू होती है।

(ख) उन व्यक्तियों के बीच जिनमें एक ऐसी शक्तियों की किसी एक की आधिकारिता का विषय है जिसका केन्द्रीय सरकार को यह समाधान हो जाने के कारण कि प्रतिकूल प्रबन्धान किये गये हैं राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, तृतीय अनुसूची में दिये गये अभिसमय के पक्षकारों को और जिनका द्वारा उपर्युक्त शक्तियों के किसी दूसरी की आधिकारिता के अधीन है; घोषित कर सकेगा।

(ग) इस प्रकार राज्य क्षेत्रों के किसी एक क्षेत्र में जिसका केन्द्रीय सरकार को समाधान हो जाने के कारण प्रतिकूल प्रावधान किये गये हैं सदृश्य अधिसूचना द्वारा उन राज्य क्षेत्रों का होना घोषित कर सकेगा जिसके प्रति तथाकथित अभिसमय लागू होता है।

धारा 53 जेनेवा प्रोटोकोल व जेनेवा अभिसमय के अनु० पर आधारित है। इस धारा के अनुसार विदेशी पंचात के आवश्यक तत्व निम्न प्रकार है -

[i] यह किसी विवाद पर माध्यस्थम् पंचात है।

[ii] यह उस विषय पर पंचात है जो कोई वाणिज्यिक विषय-वस्तु है।

[iii] यह विषय-वस्तु भारत में लागू किसी विधि के अन्तर्गत वाणिज्यिक है।

विदेशी पंचात की बाध्यता धारा 55 के अनुसार - एक विदेशी पंचात जो इस धारा के अधीन प्रवर्तनीय होगा, उन व्यक्तियों पर सभी प्रयोजनों के लिए बाध्यकारी होने के रूप में वैसे ही ग्रहण किया जायेगा, जैसे कि यह उनके बीच प्रस्तुत किया गया और भारत वर्ष में किसी विधिक कार्यवाही में, बचाव मुजराई या अन्यथा माध्यम से अन्य उन सभी व्यक्तियों में किसी पर भी विश्वास किया जाता है।

साक्ष्य - धारा 56 (1) के अनुसार - एक विदेशी पंचात को लागू करने के लिए निवेदन करने वाला पक्षकार न्यायालय के समक्ष आवेदन-पत्र के समय निम्नलिखित दस्तावेज पेश करेगा।

[क] मूल पंचात या देश के कानून द्वारा अपेक्षित ढंग से उचित रूप से प्रमाणित की गयी उसकी एक प्रतिलिपि जिसमें इसका निर्माण किया गया।

Scanned with CamScanner

[ख] यह साबित करने वाले साक्ष्य कि पंचाट अंतिम हो गया है

[ग] ऐसा साक्ष्य जो यह साबित करने के लिए आवश्यक हो कि धारा 57 (1) के खण्डो (क) और (ग) में वर्णित शर्तों का समाधान कर दिया जाता है

(2) उपधारा (1) के अधीन पेश किये जाने के लिए अपेक्षा करने वाले कोई दस्तावेज एक विदेशी भाषा में है वहाँ पंचाट को लागू होने योग्य बनाने की मांग करने वाले पक्षकार उस देश के राजनीतिक या कौंसलीय अभिकर्ता द्वारा सही होने के रूप में प्रमाणित किये गये इंग्लिश में एक अनुवाद को पेश करेगा।

स्पष्टीकरण ⇒ इस धारा में और अध्याय की निम्नलिखित धाराएं न्यायालय एक जिला में मूल अधिकारिता की प्रधान सिविल न्यायालय से तात्पर्य और इसमें पंचाट या विषय वस्तु पर आधारित रखते हुए। इसके मूल साधारण हुए। इस सिविल अधिकारिता के अभ्यास में उच्च न्यायालय भी शामिल होता है।

Scanned with CamScanner